लघु उद्योगों के लिये सुविधाओं को बढ़ाया जाना

3134. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े और मध्यम उद्योगों के समान ही लघु उद्योगों को कच्चे माल, बैंक ऋणों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शीघ्र ही एक नीति की घोषणा किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) प्रस्तावित नई लघु उद्योग नीति को कब तक लाग किया जाएगा और

(घ) इस नीति से कितने और किस प्रकार के लघु उद्योगों को लाभ पहुंचेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम : (क) 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीतिगत उपायों में सरकार ने लघु उद्योगों के लिए विभिन्न सुविधाओं की परिकल्पना की है । सरकार ने कच्चे माल के संबंध में उदारीकृत नीतियों की घोषणा पहले ही कर दी है जिनके कारण लघु एकक अपेक्षित मात्रा में कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं । जिस कच्चे माल की कमी है उसे आयात तथा निर्यात नीति में खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा गया है और इसका कम सीमा शुल्क पर निर्बाध रूप से आयात किया जा सकता है । ऋण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु क्षेत्र की पर्याप्त एवं समय पर ऋण सुनिश्चित कराने हेतू अपने तारीख 17 अप्रैल, 1993 और 3 जुलाई 1993 के परिपत्रों के द्वारा उपायों के एक विशेष पैकेज की घोषणा की है जिन की मुख्य बातों में निम्नलिखित शामिल है :-

(1) इसके बाद ग्रामीण, अति लघु उद्योगों तथा अन्य लघु औद्योगिक एककों जिनकी बैंकिंग प्रणाली से निधि आधारित कार्यशील पूंजी ऋण की सीमा एक करोड रु० तक है को नए तथा मौजूदा एककों के लिए अपने वार्षिक अनुमानित उत्पादन के न्यूनतम 20 प्रतिशत आधार पर संगणित कार्याशील पूंजी उपलब्ध करायी जाए ।

(2) ऋण प्राप्त करने वाले लघु उद्योगों से प्राप्त आवेदनों के निपटान हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा समय-सीमा को सख्ती से लागू कराया जाना चाहिए ।

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के स्वीकृत बुनियादी विकास की एक योजना भी तैयार की गई है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग नीति का कोई नया विस्तृत [illegible] आरंभ करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Attracting German investors to Imrfa

3135. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whethcr Germany which used to be the second largest investor in India, had gone down to the tenth position after 1990; and

(b) how far the recent visit by the Prime Minister and his team to Germany is likely to improve the position by way of attracting German investors to India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Amount of foreign direct investment by German companies approved has increased from Rs. 41.8 crores in 1991 to Rs. 86.3 crores in 1992 and Rs. 175.9- crores in 1993. However, in the list of couu-

try-wise break up of foreign direct in-vetfament for tie years 1991, 1992 and 1993, German's position stands at 4th, 6th and 10th respectively.

(b) The recent visit by the Prime Minister and his team to Germany is likely to give great impetus to the Government's efforts in attracting larger German's investment to India.

Industrial Devetepment of backward area

3136. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have formu-lated any scheme for the Industrial Development of the backward areas of the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is also a fact that Government have decided to base the backwardness in terms of Districts in the States; and

(d) if so, what axe the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHT): (a) and (b) The Government in 1988 announced a Growth Centre Scheme for industrialisation of less industrialised areas in *the* country. The Growth Centres under the Scheme would be provided with basic infraatructural facilities like water, power, telecom, banking etc., so as to attract industries to these areas.

(c) and (d) There is at present no proposal to revise the list of backward districts/ areas.

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को उत्तर प्रदेश के रुग्ण उद्यमों के मामलों का सौंपा जाना

3137. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के रुग्ण उद्यमों के मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को उनके पुनर्वास/पुनरुद्धार की योजना बनाने के लिए सौंपे गए हैं :

(ख) यदि हां, तो बोर्ड द्वारा इन मामलों में 31 अक्टूबर, 1993 तक क्या विचार किया गया है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे नौ उपक्रम हैं जिनहें रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौपा गया है । इन उपक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०
2. भारत पम्प ऐंड कंप्रैसर्स लि०
3. स्कूटर्स इन्डिया लि०
4. टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपो० लि०
5. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०
6. कानपुर टैक्सटाइल्स लि०
7. एलिगन मिल्स लि०
8. नेशनल टूल्स (उत्तर प्रदेश) लि०
9. यू० पी० ड्रग्स एंड फर्मास्यूटिकल्स लि० ।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने पहले ही प्रचालन अभिकरण नियुक्त कर दिए हैं तथा 31 अक्टूबर, 1993 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नौ रुग्ण उपक्रमों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है ।